राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 709वी बैठक दिनांक 07.03.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 709वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

अ. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	5974 / 2019	1(a) B-1	ग्रेनाईट स्टोन माईन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	6512 / 2019	1(a) B-1	ग्रेनाईट स्टोन माइन	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	6717 / 2019	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
4.	6735 / 2019	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8946 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	8944 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	8960 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	8832 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
9.	8880 / 2022	5(f)	Manufacturing of API	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	प्रस्तुतीकरण
10.	8751 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व में जारी स्वीकृति बावत् शिकायत	परीक्षणोपरांत निरस्त
11.	6547 / 2019	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	6548 / 2019	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	6536 / 2019	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	8952 / 2022	1 (b)	Exploratory drilling	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	8954 / 2022	1 (b)	Exploratory Drilling	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	8947 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	8956 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
18.	8957 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
19.	8955 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	8958 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
21.	8950 / 2022	1(a) B-2	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	8968 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	8476 / 2021	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

24.	8272 / 2021	1(a) B-1	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
25.	8292 / 2021	1(a) B-1	डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
26.	8965 / 2022	1(a) B-2	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	8951 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	8966 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
29.	8969 / 2022	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	5591 / 2017	1(a) B-2	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
31.	6576 / 2019	1(a) B-2	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	संशोधन स्वीकृत
ब. अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण –					
32.	8916 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
33.	8963 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
34.	8929 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
35.	8949 / 2022	1(a) B-1	पत्थर / मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
36.	8964 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
37.	8959 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
38.	8962 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
39.	8967 / 2022	1(a) B-1	पत्थर / मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
40.	8970 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
41.	8971 / 2022	1(a) B-1	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
42.	8978 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
43.	8985 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
44.	8589 / 2021	7(da) B-1	CBWTF	For ToR	ToR स्वीकृत
45.	8873 / 2021	7(da) B-1	CBWTF	For ToR	ToR स्वीकृत
46.	8993 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
47.	8994 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
48.	8995 / 2022	1(a) B-1	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
49.	8982 / 2022	1(a) B1	पत्थर / मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
50.	8996 / 2021	7(da) B-1	CBWTF	For ToR	ToR स्वीकृत
51.	8894 / 2021	7(da) B-1	CBWTF	For ToR	ToR स्वीकृत
52.	9001 / 2022	8(b) B-1	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
53.	9004 / 2022	8(b) B-1	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
54.	7686 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
55.	8885 / 2021	1(a) B1	पत्थर / मुरूम खदान	For Reject	Rejected
56.	6794 / 2020	1(a) B1	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
57.	8877 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	For Reject	Rejected
58.	8833 / 2021	1(a) B1	पत्थर खदान	For Reject	Rejected
59.	7384 / 2020	1(a) B1	रेत खदान	For Delist	Delisted

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

60.	7385/2020	1(a) B1	रेत खदान	For Delist	Delisted
61.	8983/2022	1(a) B1	पत्थर खदान	For Delist	Delisted

स. CBWTF के स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कार्यवाही बाबत।

1. **प्रकरण कमांक 5974/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट स्टोन माईन, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 410, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम चुरियारी, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डल जिला छतरपुर के पत्र क्र. 3193 दिनांक 13.08.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा का आदेश क. 3614 दिनांक 31.07.2018 के द्वारा 10 वर्ष (10.04.2018 से 09.04.2028 तक) की अवधि हेतु अनुबधित है **मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तसहील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पक्ष में शेष अवधि हेतु स्थानांतरित किया गया है।**
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.85 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.6 केएलडी हरित पट्टी विकास + 7.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.175 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 04.08.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत चुरयारी तिहाई, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यो के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चुरियारी की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम चुरियारी में शासकीय स्कूल की मरम्मत (खिड़किया के पैनल, फेंसिंग, चुनाई) एवं स्कूल बिल्डिंग के रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासकीय स्कूल में बालक – बालिका हेतु अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना की जायें।
- ग्राम पंचायत चुरियारी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट स्टोन माईन, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 410, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम चुरियारी, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क. 3614 दिनांक 31.07.2018 के माध्यम से उक्त खदान को (10.04.2018 से 09.04.2028) तक स्थानांतरित किया गया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028. तक मान्य रहेगी।

2. **प्रकरण कमांक 6512/2019 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एकता ग्रेनाईट, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट स्टोन माइन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2,50,000 घन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 410, रकबा 3.100 हेक्टेयर, ग्राम–चुरियारी तहसील –गौरीहार जिला– छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय सामान्य वनमण्डल जिला छतरपुर के पत्र क्र. 2948 दिनांक 24.08.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा का आदेश क. 358 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा (03.07.2018 से 02.07.2028 तक) की अवधि हेतु अनुबधित है **मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तसहील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पक्ष में शेष अवधि 02.07.2028 तक हेतु स्थानांतरित किया गया है।**
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.60 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.775 केएलडी हरित पट्टी विकास + 6.51 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.295 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 3700 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 04.08.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत चुरयारी तिहाई, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **तालाब से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3700 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चुरियारी की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम चुरियारी में शासकीय स्कूल की मरम्मत (खिड़किया के पैनल, फेंसिंग, चुनाई) एवं स्कूल बिल्डिंग बिल्डिंग के रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पंचायत चुरियारी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एकता ग्रेनाईट, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट स्टोन माइन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उत्पादन क्षमता 2,50,000 घन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 410, रकबा 3.100 हेक्टेयर, ग्राम–चुरियारी तहसील –गौरीहार जिला– छतरपुर (म.प्र.) को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा का आदेश क. 358 दिनांक 18.01.2019 के द्वारा (03.07.2018 से 02.07.2028 तक) की अवधि हेतु अनुबधित है **मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, निवासी मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तसहील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पक्ष में शेष अवधि 02.07.2028 तक हेतु स्थानांतरित किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.04.2028. तक मान्य रहेगी।**

3. **प्रकरण कमांक 6717/2019 – परियोजना प्रस्तावक** श्रीमती संतो चौरसिया, पत्नी श्री शिवदयाल चौरसिया ग्राम बिलौआ के पास, तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)** खसरा नं. 3624/1, रकबा 1.214 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 30,000 मी^{3}/वर्ष, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 01 अन्य खदान के साथ प्रस्तावित खदान की Overlapping होना परिलक्षित हुआ है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

4. **प्रकरण क्र. 6735/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज कुमार सिंह आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह निवासी 8 बी/के.के. 25, कृष्णपुरम, देवनगर, जिला आगरा (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता विस्तार 25000 से 110000 घनप्रति वर्ष खसरा नं. 523 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम बिलहेरीकलां, तहसील व जिला दतिया (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल, जिला दतिया के पत्र क्र. 5074 दिनांक 16.08.2013 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आदेश क्र. 987–5/9–375 दिनांक 04.03.2015 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.0 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.50 केएलडी ड्रिकिंग + 1.50 केएलडी हरित पट्टी विकास + 1.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 1.0 केएलडी खदान हेतु), जिसकी पूर्ति रैन वाटर पिट के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 2400 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 12.03.2021 को खनन क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलहरीकला के भवन, तहसील बड़ौनी, जिला दतिया में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दतिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–
   - ग्राम बलहेरीकलां के शासकीय विद्यालय में बालक – बालिका हेतु अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना की जाये।
   - ग्राम बलहेरीकलां की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
   - ग्राम बलहेरीकलां के शासकीय विद्यालय की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज कुमार सिंह आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह निवासी 8 बी/के.के. 25, कृष्णपुरम, देवनगर, जिला आगरा (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता विस्तार 25000 से 110000 घनप्रति वर्ष खसरा नं. 523 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम बिलहेरीकलां, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आदेश क. 987–5/9–375 दिनांक 04.03.2015 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.03.2025 तक मान्य रहेगी।

5. **प्रकरण क्र. 8946/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र वर्मा आत्मज श्री किशोरी लाल वर्मा, निवासी 205, कुन्बी नगर, शनि मंदिर के पास, जिला खण्डवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 48,450 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा न 410, रकबा 5.00 हेक्टेयर, ग्राम रूंधी, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.) के पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी, एच टी लाइन एवं एम. पी.ई.बी का सब–स्टेशन से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 6000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रूंधी के शासकीय विद्यालय में बालक – बालिका हेतु अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना की जाये।
- ग्राम रूंधी की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम रूंधी के शासकीय विद्यालय की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र वर्मा आत्मज श्री किशोरी लाल वर्मा, निवासी 205, कुन्बी नगर, शनि मंदिर के पास, जिला खण्डवा (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 48,450 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा न 410, रकबा 5.00 हेक्टेयर, ग्राम रूंधी, तहसील एवं जिला खण्डवा **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा का पत्र क. 1181 दिनांक 06.01.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.01.2031 तक मान्य रहेगी।**

6. **प्रकरण कमांक 8944/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री उदय दुबे, आत्मज श्री बद्री प्रसाद दुबे निवासी न्यू कटनी, पाठक वार्ड कालोनी, हिरवारा जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**, उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 68, रकबा 2.30 हेक्टेयर, ग्राम हरदुआ तहसील एवं जिला कटनी (म.प्र.) के पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक जल स्त्रोत से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 6000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम हरदुआ के शासकीय विद्यालय के हेतु 04 कम्प्यूटर सिस्टम व प्रिन्टर प्रदान किया जायें।
- ग्राम के शासकीय हाई स्कूल के रसायनिक एवं भैतिक विज्ञान के लैब हेतु इक्यूपमेंट एवं हाई रेस्ल्यूशन माईक्रो स्कोप प्रदान किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री उदय दुबे, आत्मज श्री बद्री प्रसाद दुबे निवासी न्यू कटनी, पाठक वार्ड कालोनी, हिरवारा जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)**, उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 68, रकबा 2.30 हेक्टेयर, ग्राम हरदुआ तहसील एवं जिला कटनी (म.प्र.) **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।** कार्यालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल के आदेश क. 809

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 13.01.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.01.2031 तक मान्य रहेगी।**

7. **प्रकरण कमांक 8960/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा कन्स्ट्रशन कंपनी, प्रोपराईटर, श्री राम सिहं यादव आत्मज श्री हुकुम सिहं यादव, निवासी फतेहपुर रोड, ज्योति सिनेमा के सामने, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 638, रकबा 1.450 हेक्टेयर, ग्राम दरंगवा, तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पश्चिम दिशा में **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **दरंगवा** के शासकीय प्राथमिक विद्यालय शौचालय का निर्माण के साथ पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना की जाये एव स्कूल में 02 ब्लेक बोर्ड प्रदान किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा कन्स्ट्रशन कंपनी, प्रोपराईटर, श्री राम सिहं यादव आत्मज श्री हुकुम सिहं यादव, निवासी फतेहपुर रोड, ज्योति सिनेमा के सामने, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 638, रकबा 1.450 हेक्टेयर, ग्राम दरंगवा, तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी की सैद्वांतिक सुचना क. 2376 दिनांक 08.10.2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्वांतिक स्वीकृति प्रदान कि गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.10.2031 तक मान्य रहेगी।

8. प्रकरण कमांक 8832/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पति श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 37500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भूडाल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के समीप मानव बसाहट होना परिलक्षित हुआ है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय सवेदनशीलता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी **SEIAA** बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

95 MIDC Area, MIDC Mahad, Dist. Raigad (Maharastra) – 457002 Envt. Consultant: Goldfinch Engineering System Private Limited

The case was recommended for EC in 549th SEAC meeting dated 15.02.2022.After the recommendation today the case was considered and it was observed by the

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

95 MIDC Area, MIDC Mahad, Dist. Raigad (Maharastra) – 457002 Envt. Consultant: Goldfinch Engineering System Private Limited

The case was recommended for EC in 549th SEAC meeting dated 15.02.2022.After the recommendation today the case was considered and it was observed by the authority that there is huge expansion of production of API and Additional 5.47 Ha. (54700 m2) land is also acquired for the proposed expansion .From the google image it is seen that the proposed site seem to be located close to the habitation areas & could have adverse affect the people residing there. Hence it is decided that PP & Environment consultant may be called for presentation for justification of suitability of the site for proposed expansion.

10. प्रकरण कमांक 8751/2021 प्रकरण कमांक 6547/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स संभवी एसोसिएट्स, (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) खसरा उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष नं. 655 (पी) रकबा 4.00 हेक्टेयर,, ग्राम महेबा तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

SEAC द्वारा 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में प्रकरण SEIAA को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। *यह प्रकरण स्टोन माइनिंग से संबंधित है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा 525वीं सेक बैठक दिनांक 10/11/21 के माध्यम से सिया को प्रेषित की जा चुकी है । श्री प्रियांश चौबे, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 07/2/22 के माध्यम से इस प्रकरण में शिकायत प्रेषित की है जो आगामी कार्यवाही हेतु सिया की अग्रेषित है ।*

उपरोक्त प्रकरण मे SEAC द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 मे की गई अनुशंसा उपरांत SEIAA की 695वी बैठक दिनांक 09.11.2021 में कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना का पत्र क. 1073 दिनांक 24.08.2021 द्वारा जारी प्रस्तावित खदान की के 500 मीटर की परिधि में 01 पत्थर खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर है, जिसे निरस्त कर दिया गया है वह क्षेत्र खुला घोषित किया गया है। इसी आधार पर प्रकरण को बी–2 श्रेणी में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.01.2022 के द्वारा प्रदान की गई। संबधित को सूचनार्थ।

11. **प्रकरण कमांक 6547/2019** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रदीप अग्रवाल आत्मज श्री यतीश चन्द्र अग्रवाल, निवासी 339/1, डी.एम. कॉलोनी रोड, राजसदन, बांदा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)** उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवष , खसरा नं. 655 भाग, रकबा 4.00 हेक्टेयर,, ग्राम महेबा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन वन मण्डल जिला छतरपुर के पत्र क्र. 2644 दिनांक 15.07.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि. मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क. 3022–24 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.8 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.104 केएलडी पेयजल + 4.8 केएलडी हरित पट्टी विकास + 4.9 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति आस–पास के गॉव के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 05.08.2021 को खनन ग्राम पंचायत भवन महेबा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल संग्रहण क्षेत्र से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम महेबा ग्राम महेबा में वर्ष मे कमसे कम 02 बार स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया तथा अस्वथ्य लोगो का इलाज करवाया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम महेबा की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम महेबा में शासकीय स्कूल की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम महेबा के शासकीय स्कूल में बालक – बालिका हेतु अलग–अलग शौचालय निर्माण एवं पानी की उचित व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना की जायें।
- ग्राम पंचायत महेबा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रदीप अग्रवाल आत्मज श्री यतीश चन्द्र अग्रवाल, निवारी 339/1, डी.एम. कॉलोनी रोड, राजसदन, बांदा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान **(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)** उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवष , खसरा नं. 655 भाग, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम महेबा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क. 3022–24 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.02.2029 तक मान्य रहेगी।**

12. **प्रकरण कमांक 6548/2019 – परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री देवेन्द्र शिवहरे आत्मज श्री राम मनोहर शिवहरे, निवासी इंद्र नगर, करबाई, जिला– महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2,00,000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 655 भाग, रकबा 4.00 हेक्टेयर,, ग्राम महेबा तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन वन मण्डल जिला छजरपुर के पत्र क्र. 2642 दिनांक 15.07.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

2. **लीज संबंधी विवरण** – संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क्र. 3022–24 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.8 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.104 केएलडी पेयजल + 4.8 केएलडी हरित पट्टी विकास + 4.9 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति आस–पास के गॉव के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 05.08.2021 को खनन ग्राम पंचायत भवन महेबा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल संग्रहण क्षेत्र** एवं मानव बसाहट **से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम महेबा की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम महेबा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 02 कम्प्यूटर प्रदान किये जाये एवं पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु ओवरहेड टैक का निर्माण किया जाये।
- ग्राम महेबा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री देवेन्द्र शिवहरे आत्मज श्री राम मनोहर शिवहरे, निवासी इंद्र नगर, करबाई, जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2,00,000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 655 भाग, रकबा 4.00 हेक्टेयर,, ग्राम महेबा तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।** संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क. 3022–24 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.02.2029 तक मान्य रहेगी।**

13. **प्रकरण कमांक 6536/2019 – परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री मोहम्मद वसीम आत्मज श्री मोहम्मद ईज़राईल खान, निवासी बांदा कुवर के पास, हुसैनगंज, मोदहा, हमीरपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2,50,000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 689, रकबा 5.30 हेक्टेयर में से 2.30 हेक्टेयर (SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित), ग्राम महेबा तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन वन मण्डल, जिला छतरपुर के पत्र क्र. 2640 दिनांक 15.07.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि. मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. **लीज संबंधी विवरण** – संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क्र. 3015–16 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.734 किलो लीटर प्रतिदिन है (0.114 केएलडी पेयजल + 4.77 केएलडी हरित पट्टी विकास + 3.850 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति आस–पास के गॉव के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 6500 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 05.08.2021 को खनन ग्राम पंचायत भवन महेबा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर में अपर कलेक्टर, छतरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल संग्रहण क्षेत्र एवं मानव बसाहट से 200 मीटर तक** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 6500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम महेबा के शासकीय विद्यालय में 02 सोलर लाईट तथा वाटर फिल्टर प्रदान किया जायेंगा।
- ग्राम महेबा के शासकीय स्कूल की मरम्मत, रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं झूले (स्लाइडस एवं स्वींग) लगाये जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम महेबा के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।
- ग्राम महेबा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।
- ग्राम पंचायत के परामर्श से ग्राम में चारागाह क्षेत्र विकसित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजे मिनरल्स, पार्टनर श्री मोहम्मद वसीम आत्मज श्री मोहम्मद ईज़राईल खान, निवासी बांदा कुवर के पास, हुसैनगंज, मोदहा, हमीरपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 2,50,000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 689, रकबा 5.30 हेक्टेयर में से 2.30 हेक्टेयर (SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित), ग्राम महेबा तहसील गौरीहार जिला छतरपुर (म.प्र.) **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।** संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश क. 3015–16 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है। **अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.02.2029 तक मान्य रहेगी।**

14. **Case No 8952/2022:** Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (3 Wells) in OALPJV Block, VN-ONHP-2019/I in Son Valley in Village - Bathiyagarh, Tehsil - Hatta, Dist. Damoh (MP) by M/s Oil and Natural Gas Resources,(Shri Rajesh Sharma, Chief General Manager, Frontier Basins), B S Negi Bhavan, Dehradun, Uttarakhand - 248195 Email - hsefb2020@gmail.com, Phone – 01352793502

1. This is case of Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (3 Wells) in OALPJV Block, VN-ONHP-2019/I in Son Valley in Village - Bathiyagarh, Tehsil - Hatta, Dist. Damoh (MP).
2. ONGC is a public sector company engaged in exploration and production of hydrocarbons in the country.In order to meet the increasing demand of petroleum products, ONGC has proposed to drill 3 exploratory wells of depth 3200-4500m/well.
3. Coordinates of the project siteis as follows:-

Location	Latitude	Longitude
B-KHM-A	79° 35' 58.8543" E	24° 11' 38.9430" N
B-KHM-B	79° 37' 18.2440" E	24° 11' 08.9450" N

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

B-KHM-C	79° 35' 45.3199" E	24° 13' 30.1982" N

4. The exploratory well drilling of hydrocarbons in VN-ONN-2009/3block is included under activities specified in Schedule (Activity 1b) of the EIA Notification dated 14th September 2006 & requires Environmental Clearance (EC) from the Ministry of Environment and Forests (MoEF&CC). However MoEF& CC recent Notification S.O. 236 (E), dated 16.01.2021 all project in respect of off-shore and onshore oil and gas exploration are categorized as 'B2' projects" hence PP has applied for EC in SEIAA for B2.
5. There is no National park / Sanctuaries, Eco-sensitive areas (DFO letter dtd. 10.01.2022) and inter-State boundaries within 10 km of the proposed sitehence general conditions are not attracted as per EIA Notification 2006 its amendments.
6. The case was considered in 550th SEAC meeting dtd. 16.02.2022 and recorded that:-
7. After recommendation the case was discussed in depth and it is noted that :-
   i. The proposed drilling activity in the existing acreage of VN-ONHP-2019/1, Son Valley, Vindhyan Basin is expected to establish commercial viability of gaseous hydrocarbons, opening a new vista of hydrocarbon exploration
   ii. Details of proposed Drilling of 3 Wells in NELP Block VN-ONHP-2019/1

Name of Block	VN-ONHP-2019/1 OALP-IV Block
Proposed Location Name:	3 wells in the block area
Depth	3200 to 4500 m / Well
Cost	Approx. 285 crores for 3 wells
Area	Hatta and nearby areas, in Damoh District

   iii. PP has propsed **following measures** for environment mangement:-

- Mitigation measures required addressing environmental concerns such as clearing and timber salvage, wildlife and habitat protection, cultural and archaeological sites protection, debris disposal and conservation of all natural drainage and water flow will be taken care of.
- Assess infrastructures for treatment of waste water, drill cuttings, drilling waste mud, sewage, solid/hazardous waste.
- Delineate post-closure plan coexisting with natural surroundings for abandonment of wells, rig dismantling and site completion and reclamation for abandonment.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Drill Cuttings	▪ Drill cuttings are non-hazardous in nature and comprise mainly of clay, sand, silt and shale. After washing them with water, they are collected in impervious waste pits. ▪ It consists mainly of drill cutting's washings it is also collected in the impervious waste pits, it is treated with a mobile ETP and recycled and reused for washing, cleaning, and dust suppression.
Waste Water	▪ ONGC follows zero discharge policy and no waste water is discharged outside the premises.
Air Emissions	▪ The main source of air emissions are DG sets which are provided with suitable exhaust of requisite height for safe dispersal of the emissions. The DG sets are maintained as per the specifications of the manufacturer. ▪ Besides movement of vehicles may also spread dust for which water is regularly sprinkled for dust suppression. ▪ Flue gases are also emitted during testing phase when gas is flared however it is a very short .

iv. PP has proposed following physical targets based activities under Corporate Environment Responsibility (CER).

Distribution of saplings of fruit bearing plants (approx. 1000)	40,000.00
Medical camps (2 Nos.)	8,00,000.00
Supplementing Infrastructure in Govt. Schools (5 Nos.)	15,00,000.00
Solar Street Lighting (100 Nos.)	15,00,000.00
Total	**38.40 Lakh**

Hence, it is decided to accept the recommendations of 550th SEAC meeting dtd. 16.02.22 and accord Prior Environment Clearance for proposed " Exploratory Drilling (2 Wells) in OALPJV Block, VN - ONHP - 2019/4 in Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) by M/s Oil and Natural Gas Resources, (Shri Rajesh Sharma, Chief General Manager, Office of the Block Manager (Vindhyan), Frontier Basins) B S Negi Bhavan, Dehradun, Uttarakhand - 248195subject to following Specific Conditions.

(1) The present EC is for Exploratory Drilling only. In case development drilling to be done in future prior environmental clearance must be obtained.

(2) Drilling waste water including drill cuttings wash water shall be collected in disposal pit lined with HDPE lining evaporated or treated and shall comply with the notified standards for onshore disposal. The membership of Common TSDF shall be obtained for the disposal of drill cuttings and hazardous waste.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(3) PP should ensure to provide crop compensation to the land owners as per the rates of the State Governmentif land involved in the project area.

(4) After completion of the project the land should be restored properly to its original state as much as possible to the satisfaction of the land owners.

(5) PP should ensure zero waste water discharge from the process.

(6) No lead acid batteries shall be utilized in the project site.

(7) PP should obtain NOC for fire and approval for onsite offsite emergency plan, health and safety plan from the Competent Authorities.

(8) PP shouldensure to implement the activitiesproposedunder CER to theextent of **Rs. 53.40 Lakh.**

1.	Distribution of saplings of fruit bearing plants (approx. 1000)	40,000.00
2.	Medical camps (2 Nos.)	8,00,000.00
3.	Supplementing Infrastructure in Govt. Schools (10 Nos.)	30,00,000.00
4.	Solar Street Lighting (100 Nos.)	15,00,000.00
	Total	**53.40 Lakh**

15. **Case No 8954/2022** Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (2 Wells) in OALPJV Block, VN - ONHP - 2019/4 in Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) by M/s Oil and Natural Gas Resources, (Shri Rajesh Sharma, Chief General Manager, Office of the Block Manager (Vindhyan), Frontier Basins), B S Negi Bhavan, Dehradun, Uttarakhand - 248195 Email - hsefb2020@gmail.com, Phone - 01352793571

1. This is case of Prior Environment Clearance for Exploratory Drilling (2 Wells) in OALPJV Block, VN - ONHP - 2019/4 in Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP).
2. ONGC endeavors hydrocarbon exploration to meet the rising energy requirements of the country
3. The project shall undertake drilling of two exploratory wells (depth 3200m and 3800m each) for establishing commerciality of hydrocarbons present in the area
4. Coordinates of the project site is as follows:-

S.No.	LATITUDE	LONGITUDE
1.	23°20' N	78°20' N
2	23°20' N	79°05' N
3	23°18' N	79°05' N
4	23°18' N	79°06' N
5	23°17' N	79°06' N
6	23°17' N	79°05' N
7	23°15' N	79°05' N
8	23°15' N	79°04' N
9	23°14' N	79°04' N
10	23°14' N	78°03' N

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11	23°11' N	78°03' N
12	23°11' N	78°06' N

5. The exploratory well drilling of hydrocarbons in VN-ONN-2009/3block is included under activities specified in Schedule (Activity 1b) of the EIA Notification dated 14th September 2006 & requires Environmental Clearance (EC) from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MOEF&CC's). However MoEF& CC's recent Notification S.O. 236 (E), dated 16.01.2021 all project in respect of off-shore and onshore oil and gas exploration are categorized as 'B2' projects" hence PP has applied for EC in SEIAA for B2.
6. There is no National park / Sanctuaries, Eco-sensitive areas (DFO letter dated20.12.2021) and inter-State boundaries within 10 km of the proposed site hence general conditions are not attracted as per EIA Notification 2006 its amendments.
7. The case was considered in 550th SEAC meeting dated 16.02.2022 and recorded that:-
8. After recommendation the case was discussed in depth and it is noted that :
   i. The proposed drilling activity in the existing acreage of VN-ONHP-2019/4, Son Valley, Vindhyan Basin is expected to establish commercial viability of gaseous hydrocarbons, opening a new vista of hydrocarbon exploration
   ii. Details of proposed Drilling of 2 Wells in NELP Block VN-ONHP-2019/1

Name of Block	VN-ONHP-2019/4 OALP Block
Proposed Location Name:	02 wells in the block area
Depth	3200 to 3800 m / Well
Cost	Approx. 195 crores for 5 wells
Area	Udaipura in Raisen District

   iii. PP has propsed follwing **measures** for environment mangement:
   - Mitigation measures required addressing environmental concerns such as clearing and timber salvage, wildlife and habitat protection, cultural and archaeological sites protection, debris disposal and conservation of all natural drainage and water flow will be taken care of.
   - Assess infrastructures for treatment of waste water, drill cuttings, drilling waste mud, sewage, solid/hazardous waste.
   - Delineate post-closure plan coexisting with natural surroundings for abandonment of wells, rig dismantling and site completion and reclamation for abandonment.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Drill Cuttings	▪ Drill cuttings are non-hazardous in nature and comprise mainly of clay, sand, silt and shale. After washing them with water, they are collected in impervious waste pits. ▪ It consists mainly of drill cutting's washings it is also collected in the impervious waste pits, it is treated with a mobile ETP and recycled and reused for washing, cleaning, and dust suppression.
Waste Water	▪ ONGC follows zero discharge policy and no waste water is discharged outside the premises.
Air Emissions	▪ The main source of air emissions are DG sets which are provided with suitable exhaust of requisite height for safe dispersal of the emissions. The DG sets are maintained as per the specifications of the manufacturer. ▪ Besides movement of vehicles may also spread dust for which water is regularly sprinkled for dust suppression. ▪ Flue gases are also emitted during testing phase when gas is flared however it is a very short .

iv. PP has proposed following physical targets based activities under Corporate Environment Responsibility (CER).

Distribution of saplings of fruit bearing plants (approx. 1000)	40,000.00
Medical camps (2 Nos.)	8,00,000.00
Supplementing Infrastructure in Govt. Schools (5 Nos.)	15,00,000.00
Solar Street Lighting (100 Nos.)	15,00,000.00
Total	**38.40 Lakh**

Hence, it is decided to accept the recommendations of 550th SEAC meeting dtd. 16.02.22 and accord Prior Environment Clearance for proposed " Exploratory Drilling (2 Wells) in OALPJV Block, VN - ONHP - 2019/4 in Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) by M/s Oil and Natural Gas Resources, (Shri Rajesh Sharma, Chief General Manager, Office of the Block Manager (Vindhyan), Frontier Basins) B S Negi Bhavan, Dehradun, Uttarakhand - 248195subject to following Specific Conditions.

(1) The present EC is for Exploratory Drilling only. In case development drilling to be done in future prior environmental clearance must be obtained.

(2) Drilling waste water including drill cuttings wash water shall be collected in disposal pit lined with HDPE lining evaporated or treated and shall comply with the notified standards for onshore disposal. The membership of Common TSDF shall be obtained for the disposal of drill cuttings and hazardous waste.

(3) PP should ensure to provide crop compensation to the land owners as per the rates of the State Governmentif land involved in the project area.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(4) After completion of the project the land should be restored properly to its original state as much as possible to the satisfaction of the land owners.

(5) PP should ensure zero waste water discharge from the process.

(6) No lead acid batteries shall be utilized in the project site.

(7) PP should obtain NOC for fire and approval for onsite offsite emergency plan, health and safety plan from the Competent Authorities.

(8) PP shouldensure to implement the activitiesproposedunder CER to theextent of **Rs. 38.40 Lakh.**

16. **प्रकरण कमांक 8947/2022 – परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स राधा वल्लभ स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, निवासी पेन्ड्रा रोड, तहसील पेन्ड्रा रोड़, जिला गौरल्ला–पेन्ड्रा–मरवाही (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7999 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 740, 742/1, 742/2, 743, 746, रकबा 1.432 हेक्टेयर, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं मानव बसाहट से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 200 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1800 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम दोनिया की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम दोनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 02 कम्प्यूटर प्रदान किये जाये एवं पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु ओवरहेड टैक का निर्माण किया जाये।
- ग्राम दोनिया में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।
- ग्राम दोनिया के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राधा वल्लभ स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, निवासी पेन्ड्रा रोड, तहसील पेन्ड्रा रोड़, जिला गौरल्ला–पेन्ड्रा–मरवाही (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7999 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 740, 742/1 742/2, 743, 746, रकबा 1.432 हेक्टेयर, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर **(म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर का पत्र क्र. 1711 दिनांक 24.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.08.2031 तक मान्य रहेगी।**

17. प्रकरण कमांक 8956/2022 – परियोजना प्रस्तावक, श्री आनंद शर्मा आत्मज श्री आर.डी. शर्मा, निवासी टैम्पल कैम्पस, डुमरिया, तहसील रूपवासी, जिला भरतपुर (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 25,000 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 315, 371/1, रकबा 1.70 हेक्टेयर, ग्राम दोनिया, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रं. 1702 दिनांक 16.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में दो अन्य खदान स्वीकृत जिसका कुल रकबा 3.151 हेक्टेयर होना दर्शित है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार 03 अन्य खदान जिसका कुल रकबा 5.00 हेक्टेयर से अधिक होना परिलक्षित है, जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें कि वह बी–1 श्रेणी के अंतर्गत ToR हेतु नवीन आवेदन करे।

18. **प्रकरण कमांक 8957/2022** – परियोजना प्रस्तावक, मेसर्स मॉ नर्मदा स्टोन इन्टरप्राईजेज़, अधिकृत व्यक्ति अरूण कुमार अग्रवाल, निवासी 26, कर्मशियल काम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 26296 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 151, रकबा 1.530 हेक्टेयर, ग्राम ताला, तहसील चांदिया, जिला उमरिया (म. प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 50 मीटर पर जलभराव संरचना एवं 150 मीटर पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में जलभराव संरचना एवं पक्की सड़क से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता न होने का दृष्टिगत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर्यावरणीय अनापत्ति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।

19. प्रकरण कमांक 8955/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजली साहू पुत्री श्री वनमाली साहू, निवासी ग्राम नौनेर, जिला दतिया (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 4680 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 276/1, 285, 286, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम रामपुर बुजुर्ग, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम रामपुर बुजुर्ग में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।
- ग्राम रामपुर बुजुर्ग के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजली साहू पुत्री श्री वनमाली साहू, निवासी ग्राम नौनेर, जिला दतिया (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 4680 घन मीटर प्रति

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

वर्ष खसरा नं. 276/1, 285, 286, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम रामपुर बुजुर्ग, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का पत्र क्र. 1314 दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.12.2030 तक मान्य रहेगी।

20. **प्रकरण कमांक 8958/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कैलाशी बाई यादव पत्नि श्री अमर सिंह यादव, निवासी 799/2, यादव मोहल्ला, खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5000 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 821/2, रकबा 1.20 हेक्टेयर, ग्राम खुजनेर, तहसील खुजनेर., जिला राजगढ़ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार खनन क्षेत्र से 180 मीटर पर रोड़, 350 मीटर पर आबादी एवं खदान क्षेत्र में 04 बृक्ष होना परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक के ईमेल द्वारा प्रस्तुत खनन योजना में किये गये संशोधन अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग न करते हुये रॉक ब्रेकर द्वारा उत्खनन किया जायेगा का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

21. **प्रकरण कमांक 8950/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन सिंह आत्मज श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम डुंगलाय, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 3200 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 66, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम डाबरी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम डाबरी में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।
- ग्राम डाबरी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन सिंह आत्मज श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम डुंगलाय, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 3200 घन मीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 66, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम डाबरी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर **(म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर का पत्र क्र. 1118 दिनांक 05.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.09.2031 तक मान्य रहेगी।**

22. **प्रकरण कमांक 8968/2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री दादाजी स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर श्री प्रीतम पटेल एंव संदीप पटेल, निवासी एच–1, दीनदयाल पुरम, खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर एव एम–सेड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम–सेड 10000 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 20 रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम भैंसावन, तहसील खंडवा जिला खंडवा (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 550वी बैठक दिनांक 16.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 3600 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम भैंसावन की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम भैंसावन में शासकीय स्कूल की मरम्मत एवं स्कूल बिल्डिंग के रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पंचायत चुरियारी के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाय

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स श्री दादाजी स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर श्री प्रीतम पटेल एंव संदीप पटेल, निवासी एच–1, दीनदयाल पुरम, खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर एव एम–सेड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम–सेड 10000 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 20 रकबा 3.0 हेक्टेयर, ग्राम भैंसावन, तहसील खंडवा जिला खंडवा (म.प्र) **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा का पत्र क्र. 955 दिनांक 16.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.11.2031 तक मान्य रहेगी।**

23. **प्रकरण कमांक 8476/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री पदम भार्गव आत्मज श्री बालकृष्ण भार्गव, निवासी नवमहिला घासमंडी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 150001 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 1354, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खरग, तहसील दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण **के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र** –कार्यालय जिला दतिया के पत्र क्र. 955 दिनांक 24.11.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र भी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया द्वारा का आदेश क. 253–8 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.22 किलो लीटर प्रतिदिन है (1.13 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.63 केएलडी धूल धमन हेतु + 2.46 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 18.10.2021 को खनन क्षेत्र पंचायत भवन ग्राम गरेरा, तहसील दतिया, जिला दतिया में अपर कलेक्टर, दतिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1)

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2500 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम खरग के प्राथमिक शाला में 01 हैंडपंप एंव 02 वाटर फिल्टर की स्थापना की जाये ।
- ग्राम खरग के प्राथमिक शाला में 20 टेबिल एवं कुर्सी प्रदान किये जाये।
- ग्राम पंचायत खरग के रहवासियों की जरूरत के अनुसार सार्वजनिक कार्य किये जायें एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री पदम भार्गव आत्मज श्री बालकृष्ण भार्गव, निवासी नवमहिला घासमंडी, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता पत्थर 150001 घन मीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 1354, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम खरग, तहसील दतिया, जिला दतिया **(म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया द्वारा का आदेश क. 253–8 दिनांक 06.03.2019 के द्वारा 10 **वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.03.2029 तक मान्य रहेगी।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

24. **प्रकरण कमांक 8272/2021** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट, प्रोपराईटर श्री संदेश कुमार जैन, निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500940 टन प्रति वर्ष, खसरा नं. 75/1 भाग, 75/2 भाग, 74भाग, 100 भाग,, 103/1भाग, 103/2भाग, 103/3भाग, 134 भाग, 135भाग, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता की जानकारी अनुसार खदान क्षेत्र **से 30 मीटर, 60 मीटर, 140 मीटर पर आबादी एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 3 पिट का होना तथा पिट के समीप कई वृक्ष के होने का उल्लेख किया गया है।**

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

25. **प्रकरण** कमांक 8292/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप सिंह चौहान, एम.आई.जी. 2/12, जैन मंदिर के पीछे, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट, सोपस्टोन एवं क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 23546 घनमीटर प्रतिवर्ष (62396 टन प्रति वर्ष), खसरा नं. 621, 634, 635, 636, 637, 638 रकबा 2.911 हेक्टेयर, ग्राम भदावर, तहसील वड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 555वी बैठक दिनांक 24.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता की जानकारी अनुसार खदान क्षेत्र से 55 मीटर पर आबादी एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 2 पीट का होना का उल्लेख किया गया है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

26. **प्रकरण कमांक 8965/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री संजय त्यागी, अत्मज श्री सुरेश त्यागी मकान न. 107 राज इनक्लेब, आदित्यपुरम, तहसील गिर्द जिला –ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा न . 284, 285, 293, 294, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बिलगॉव चौधरी, तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले उत्तर दिशा में **कच्ची सड़क से 50 मीटर से प्रस्तावित खदान** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूदा पेड़ों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रखखाव किया जायेगा।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC से में की गई प्रतिवद्वता अनुसार 02 मीटर से अधिक गहराई तक उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा एवं खनन पट्टे में चिमनी का निर्माण/स्थापना नहीं की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

iv. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बिलगॉव की आंगनवाडी में संबंधित विभाग से परामर्श अनुसार पौष्ठिक आहार एवं अन्य समस्त व्यय की सम्पूर्ण जावबदारी 01 वर्ष तक वहन की जाये।
- ग्राम बिलगॉव चौधरी में सोलर लालटेन वितरित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री संजय त्यागी, अत्मज श्री सुरेश त्यागी मकान न. 107 राज इनक्लेब, आदित्यपुरम, तहसील गिर्द जिला –ग्वालियर (म.प्र.) मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा न . 284, 285, 293, 294, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बिलगॉव चौधरी, तहसील जौरा जिला मुरैना **(म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के आदेश क. 819 दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.07.2031 तक मान्य रहेगी।**

27. प्रकरण कमांक 8951/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लटूबाई मेवाड़ा पती स्वा. श्री अचल सिह मेवाड़ा निवासी, ग्राम भेंसरोद, तहसील – गुलाना, जिला– शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 8,000 घनमीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 1816/1, 1816/2 1804, 1828 रकबा 1.73 हेक्टेयर, ग्राम भेंसरोद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले उत्तर पश्चिम दिशा में **50 मीटर से प्रस्तावित खदान तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज पटटा क्षेत्र में जीवित वृक्षों को काटा नही जाये एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायें।**

III. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2100 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- समीपस्थ आगवाड़ी केन्द्र में 01 वर्ष तक पोषण अहार वितरित किया जाये।
- ग्राम भेंसरोद में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लटूबाई मेवाड़ा पती स्व. श्री अचल सिह मेवाड़ा निवासी, ग्राम भेंसरोद, तहसील – गुलाना, जिला– शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 8,000 घनमीटर प्रति वर्ष खसरा नं. 1816/1, 1816/2 1804, 1828 रकबा 1.73 हेक्टेयर, ग्राम भेंसरोद, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र) **को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर का पत्र क्र. 834 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.10. 2030 तक मान्य रहेगी।

28. **प्रकरण कमांक 8966/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री ललित कुशवाहा आत्मज श्री बैजनाथ कुशवाहा, निवासी कैथ का पुरा, कोडेरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 553, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बकसपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 1200 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- समीपस्थ आगवाड़ी केन्द्र में 01 वर्ष तक पोषण अहार वितरित किया जाये।
- ग्राम बकसपुर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री ललित कुशवाहा आत्मज श्री बैजनाथ कुशवाहा, निवासी कैथ का पुरा, कोडेरा, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि)

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उत्पादन क्षमता 10290 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 553, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बकसपुर, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क्र. 962 दिनांक 03.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2031 तक मान्य रहेगी।

29. **प्रकरण कमांक 8969/2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बाबा मिनरल्स, प्रोपराईटर, श्रीमती खुशबू गोयनका, वार्ड नं. 9, विजूरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5993 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 26, रकबा 1.619 हेक्टेयर, ग्राम डोगरिया खुर्द, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक **जल सरंचना क्षेत्र से 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूदा 05 वृक्षों में से 01 वृक्ष को बिना वन विभाग की अनुमति के नहीं काटा जाये एवं उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जाये एवं शेष 04 वृक्षों का रखखाव किया जाये।

iii. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2010 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- समीपस्थ आगवाड़ी केन्द्र में 01 वर्ष तक पोषण अहार वितरित किया जाये।
- ग्राम डोगरिया खुर्द के शासकीय प्राथमिक स्कूल मे रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बाबा मिनरल्स, प्रोपराईटर, श्रीमती खुशबू गोयनका, वार्ड नं. 9, विजूरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 5993 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 26, रकबा 1.619 हेक्टेयर, ग्राम डोगरिया खुर्द, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर का आदेश क्र. 421 दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.02.2031 तक मान्य रहेगी।

30. प्रकरण कमांक 5591/2017 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ध्रुव कन्स्ट्रक्शन, प्लॉट नं. ए, 21, स्वास्तिक ग्रीन सिटी, जिला शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 1,15,000 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 18/1, रकबा 6.0 हेक्टेयर, ग्राम धोलर, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में निर्णय लिया गया :–

- प्रकरण में SEAC की 303वीं बैठक दिनांक 23.12.2017 में पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई तदुपरांत SEIAA समिति की 470वीं बैठक दिनांक 22.02.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क्र. 1960–61 दिनांक 14.03.2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया गया ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म–4 में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्पादन क्षमता में सुधार हेतु अगले पांच वर्ष के लिये उत्पादन क्षमता 9793 घनमीटर प्रतिवर्ष स्वीकृत माईन प्लान तथा प्रथम पांच वर्ष के लिये 1,15,000 घनमीटर प्रति वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
- भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधन –

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance."

प्रकरण में SEIAA समिति द्वारा विस्तृत विचार एवं ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 अनुसार यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण उत्पादन विस्तार क्षमता से संबंधित है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में उत्पादन विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ToR हेतु नये सिरे से ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत प्रकरण पर पुनः विचार किया जायेगा। सर्वसंबधितो को सूचनार्थ ।

31. प्रकरण कमांक 6576/2019 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पेसेफीक इन्डस्ट्रीज़ लि., निवासी बेदला, जिला उदयपुर (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रति वर्ष, खसरा नं. 2610, रकबा 3.816 हेक्टेयर, ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **प्रकरण में SEIAA समिति की 643 वी बैठक दिनांक 06.10.2020 में लिये गये निर्णय अनुसार SEIAA पत्र क. 4561–62 दिनांक 29.10.2020 द्वारा ग्रेनाईट, उत्पादन क्षमता 7500 घन मीटर प्रतिवर्ष रकवा 3.816 हे. ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था।**
2. SEIAA द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में 7500 प्रति घन मीटर (कुल उत्पादन क्षमता का 25 प्रतिशत) एवं शेष 75 प्रतिशत पत्थर वेस्ट जो कि पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अंकित नहीं था। अतः शेष 75 प्रतिशत पत्थर वेस्ट 22500 घनमीटर जोड़ने हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया गया।
3. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आनलाईन फार्म – 4 मे पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन कर पत्थर वेस्ट 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया है।**
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में **पत्थर** वेस्ट (Unsized Block) 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) को सम्मलित कर संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

- **परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स पेसेफीक इन्डस्ट्रीज़ लि., निवासी बेदला, जिला उदयपुर (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 7500

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

घनमीटर प्रति वर्ष (सैलेबल वेस्ट (Unsized Block) 22500 घनमीटर), खसरा नं. 2610, रकबा 3.816 हेक्टेयर, ग्राम छिल्पा, तहसील व जिला अनुपपुर (म.प्र.) की उपरोक्त पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रं. 942–43 दिनांक 02.06.2018 में निहित समस्त शर्तें एवं वैधता को यथावत रखते हुये उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित पर्यावरीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ब. अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से –

32. प्रकरण क्र. 8916/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. स्टोन, प्रो. श्री विशाल पाहवानी, निवासी 11 पैलेस कॉलोनी, जिला इन्दौर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10,527 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 125/2/3 ग्राम रंगबासा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण कमांक 8963/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स न्यू जय दाऊबाबा स्टोन केशर, श्री सरदार सिंह गुर्जर आत्मज श्री वृन्दावन सिंह, निवासी–पारस विहार कालोनी, झॉसी रोड़ थाने के सामने, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 2724/मिन–2, 2725, 2729, 2730, 2728/मिन–2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण कमांक 8929/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन चौधरी, निवासी–ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता स्टोन–19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, वेस्ट – 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम एज ओव्हर –12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 168/6, 168, 7/1, 168/7/2, 168/11 पेकी, रकबा 2.80 हेक्टेयर, ग्राम कल्यांसीखेडी, तहसील पीथमपुर, जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

35. प्रकरण कमांक 8949/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंकिता सोनकर, 2390, सेठीनगर, कुम्हार मोहल्ला, रामपुर वार्ड, नं. 11, ग्वारीघाट जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वार पत्थर एवं मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता स्टोन–26,305 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम – 3,467 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 26 पार्ट, ग्राम खुरशी, तहसील एवं जिला जबलपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549 वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

36. प्रकरण क्र. 8964/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री रमाशंकर सिंह, निवासी पारीछा, तहसील व जिला झांसी (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 108227 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 901/2, ग्राम भीतरी, तहसील निवाडी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550 वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

37. प्रकरण क्र. 8959/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी बडेरिया रूपनगर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 23636 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.905 हेक्टेयर, खसरा 375, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550 वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 8962/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री रवि यादव आत्मज श्री चन्दन सिंह यादव, निवासी ग्राम हापाखेड़ी, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24696 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 374 भाग, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 550 वी बैठक दिनांक 16.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

39. प्रकरण क्र. 8967/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुधांशु गुप्ता आत्मज श्री राजेश कुमार गुप्ता, निवासी 2382 राईट टाउन, मदन महल, जिला जबलपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष व मुरूम 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 24/2 भाग, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551 वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 8970/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुधांशु गुप्ता, निवासी म.नं. 2382, राईट टाउन, मदन महल, जिला जबलपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 24/2 भाग, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551 वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

41. प्रकरण क्र. 8971/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभात कुमार तिवारी, जगमोहन दास वार्ड, नई बस्ती, शंभू टॉकीज, जिला कटनी (म.प्र) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 61803 टन प्रतिवर्ष, रकबा 2.084 हेक्टेयर, खसरा नं. 74 (नया खसरा नं. 137), ग्राम माल्हन, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551 वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

42. प्रकरण क्र. 8978/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार आत्मज श्री दुष्यंत कुमार लोधी, निवासी ग्राम गहोरा, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 27075 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.689 हेक्टेयर, खसरा नं. 387,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 553 वी बैठक दिनांक 22.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

43. प्रकरण क्र. 8985/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज शर्मा आत्मज श्री भोले शर्मा, निवासी 183, फुटेरा वार्ड नं. 02, नियर नरसिंह मंदिर, दमोह, जिला दमोह (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.330 हेक्टेयर, खसरा नं. 155/4, ग्राम मांधपुर, तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 553 वी बैठक दिनांक 22.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

44. **Case No 8589/2021:**Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP) by Smt. Meenakshi Parashar, MIG 9, Vipatpura Housing Board Colony, Dist. Narsinghpur, MP - 487001, Email - usparasar13@gmail.com, Mobile - 9425168678

The case was presented by the PP and their consultant in 554th SEAC meeting dated 23.02.2022 and recommended for ToR. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following conditions for preparation of EIA report:

a) **Details of unit located within the coverage area of the project site.**
b) **Route chart of the districts by showing collection of Bio medical wastes for treatment by the propsed unit.**
c) **Health Départment guidelines for establishment of such units should be incorporated in the EIA report.**
d) **Disposal process of sludge generated from ETP. Monitoring provision for discharge of treated waste water from ETP including physico-chmical parameters as per norms.**
e) **Monitoring provision for energy consumption by ETP.**
f) **Ash mangement Plan.**
g) **Detail working layout with dimension of each provision including green belt location**
h) **Waste storage room floor and wall linning material (interior and exterior) to avoid moisture, sticking/ harbouring of micro organism**
i) **Odour mangement plan in EMP.**

45. **Case No 8873/2021**Prior Environment Clearance for Proposed Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot No. - 84, P & H in Lahgadua Industrial Area, District-Chhindwara (MP) Total Area – 4100 Sq.mt. (1.07 Acre) by M/s ECO MED Solutions, Shop No. 2, Kheri Road, Sector-98, Dist. Faridabad, Haryana – 121002

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

The case was presented by the PP and their consultant in 554th SEAC meeting dated 23.02.2022 and recommended for ToR. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following conditions for preparation of EIA report:

a) **Details of unit located within the coverage area of the project site.**
b) **Route chart of the districts by showing collection of Bio medical wastes for treatment by the propsed unit.**
c) **Health Départment guidelines for establishment of such units should be incorporated in the EIA report.**
d) **Disposal process of sludge generated from ETP. Monitoring provision for discharge of treated waste water from ETP including physico-chmical parameters as per norms.**
e) **Monitoring provision for energy consumption by ETP.**
f) **Ash mangement Plan.**
g) **Detail working layout with dimension of each provision including green belt location**
h) **Waste storage room floor and wall linning material (interior and exterior) to avoid moisture, sticking/ harbouring of micro organism**
i) **Odour mangement plan in EMP.**

46. प्रकरण क्र. 8993/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह आत्मज श्री महेन्द्र सिंह, निवासी मकान नं. 752, जखौरा, तहसील व जिला ललितपुर (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23256 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.292 हेक्टेयर, खसरा 443/1, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554 वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

47. प्रकरण क्र. 8994/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री कान्हा गुप्ता आत्मज श्री नरेन्द्र गुप्ता, निवासी सेवानगर, ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25878 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.689 हेक्टेयर, खसरा 386, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554 वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

48. प्रकरण क्र. 8995/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हितेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह लोधी, निवासी सुभाष नगर, हजीरा, ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 27740 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.344 हेक्टेयर, खसरा 388/1, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554 वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

49. प्रकरण कमांक 8982/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.आर. माईनिग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, 2382 राइट टाऊन, तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) स्टोन एवं मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता स्टोन–150,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम –21430 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 86(पार्ट), रकबा 03.60 हेक्टेयर, ग्राम धाधरा, तहसील एवं जिला– जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554 वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

50. **Case No 8996/2022** Prior Environment Clearance for Common Bio-medical Waste Treatment Facility at Khasra No. 74/4, 74/3, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri (MP) by M/s Medical Pollution Disposal Committee, Dr. Pranjal Patel, Plot No. 81C/1, 74/3, 74/4, Village - Dumduma, Tehsil - Karera District - Shivpuri, MP

Since the case is presently sub-judice (OA no. 20/2022), it would be appropriate to await the decisions of the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal in this case. After detailed deliberations, SEIAA decided to defer the matter till final decisions in OA no. 20/2022 which is presently pending in the Hon'ble NGT Central bench, Bhopal.

51. **Case No 8894/2021**:Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatmet Facility, at Village - RaudaChhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, MP by M/s J.K. Medical Waste Management System, Smt. Pramila Sharma, Partner, House No. 85, Vinay Graha Nirman Society, Bawadiya Kalan, Dist. Bhopal, MP

The case was presented by the PP and their consultant in 554th SEAC meeting dated 23.02.2022 and recommended for ToR. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following conditions for preparation of EIA report:

a) **Details of unit located within the coverage area of the project site.**
b) **Route chart of the districts by showing collection of Bio medical wastes for treatment by the proposed unit.**
c) **Health Department guidelines for establishment of such units should be incorporated in the EIA report.**
d) **Disposal process of sludge generated from ETP. Monitoring provision for discharge of treated waste water from ETP including physico-chmical parameters as per norms.**
e) **Monitoring provision for energy consumption by ETP.**
f) **Ash mangement Plan.**
g) **Detail working layout with dimension of each provision including green belt location**
h) **Waste storage room floor and wall linning material (interior and exterior) to avoid moisture, sticking/ harbouring of micro organism**
i) **Odour mangement plan in EMP.**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

52. **Case No 9001/2022:**Environment Clearance for Residential Township Project "AakritiAquacity" at Village - Chaan, Block - Phanda, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP) Area under Group Housing (in Sq.m)- 36,421.65 (9 Acres), Area under Plotted Development (in Sq.m)- 2,16,.000 (53.37 Acres), Total Area- 2,52,421.65 (62.37 Acres) Built Up Area – 2,25,098.234 sq.m.byM/s AG8 Ventures Ltd, Aakriti House, Eco City, E-8, Extension, Dist. Bhopal, MP

1. This is a case of Environment Clearance for Residential Township Project "Aakriti Aquacity" at Village - Chaan, Block - Phanda, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, under violation.
2. The project site is located at Village –Chaan, Block-Phanda, Tehsil-Hujur, District-Bhopal, Madhya Pradesh. The geographical co-ordinates of project site are 23° 08' 51.92" N and 77° 30' 28.75" E.
3. The total site area is 2, 52,421.65 sq.mtr. (62.37 Acres) which includes 36,421.65 sqm (9 Acres) area under Group Housing and 2, 16,000 (53.37 Acres) under plotted development. The total built-up area of the project will be 2, 25,098.234 sq.m out of which Project Proponent has already constructed 99,781.33 sqm at site without prior Environment Clearance and is, therefore, a violation of Environment Protection Act, 1986.
4. Building plan approval was granted for the project by Town and Country Planning Department for 53.37 Acres (plotted colony) on 04.06.2010 vide letter no. 506/L.P.12/diversion-V.A/ Jika/Nagrani/2010 and for 9 acres (Group Housing) on 23.06.2010 vide letter no. 574/L.P.13/diversion-V.A/ Jika/Nagrani/2010.
5. The Project Proponent obtained CTE for the project from MPPCB vide letter no. TPAV # 31PC8L9H6G dated 13.10.2016

The case was presented by the PP and their consultant in 555th SEAC meeting dated 24.02.2022 and recommended for ToR. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion it was observed by the authority that the project is a case of violation on account of not securing prior environment clearance before starting the construction activities at site. The total built-up area of the project will be 2,25,098.234 sqm out of which Project Proponent has already constructed 99,781.33 sqm at site without prior Environment Clearance and is therefore, a violation of Environment Protection Act, 1986. Hence it is decided that write a letter to MPPCB to take action against the project proponent under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and further no consent to operate or occupancy certificate to be issued till the project is granted EC.

The ToR recommended by SEAC is hereby approved and Additional TOR is issued by incorporating following conditions for preparation of EIA report:

a) **It is noted that a river is flowing adjacent to the project site, therefore development strategy of the area and protection of river and river bank, and**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

zero discharge of dry weather flow in the river should be discussed in the EIA report .

b) **Submit the contours of the project site before and after leveling.**
c) **Contour and slope analysis superimposed with storm water drain, sewerline map in the project and 500 m around the project.**
d) **Study the socio-economic condition of the project area and its surrounding and their impact on the project design and operation.**
e) **Looking to the increase the use of electrical vehicle in recent future, provision for the installation of sufficient number of electrical charging port should be made in the proposed site. This point should be specifically discussed and deliberated in the proposed EIA.**
f) **The proponent should obtain NOC from Airport Authority of India if required.**

53. **Case No 9004/2022**Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampura, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP) Total Project Influenced Area-19,25,380.68 M2 Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2, Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54. Total Project Influenced Area19,25,380.68 M2, Area for Plotted Development- 6,70,131.40 M2 , Total no. of residential Units – 5057, Total Shops – 54. By Gwalior Development Authority, Executive Engineer, VikashBhavan, Gwalior, MP

1. This is a case of Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampura, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP).
2. This is a plotted development project so the proponent is responsible for developing infrastructure like drainage, sewage system, road, light and Park. The project will be fully operative in next 4-5 years.
3. The project includes Residential Plots of different size, Commercial Area, Road Area, Open Area (Park Area), Parking Area, Community Centre, Health Centre School Area.

The case was presented by the PP and their consultant in 555th SEAC meeting dated 24.02.2022 and recommended for ToR. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion, it was decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following conditions for preparation of EIA report:

a) **Submit the contour of the Project site.**
b) **Contour and slope analysis superimposed with storm water drain, sewer line map in the project and 500 m around the project.**
c) **NOC should be obtained from concerned department for water supply, disposal of MSW, disposal of extra treated waste water and fire fighting.**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

d) Looking to the increasing use of electrical vehicles make a provision for the installation of number of electrical charging port in the project area.

54. प्रकरण क्र. 7686/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तोमर बिल्डर एंड कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा.लि. निवासी ए. 1/8, विनय नगर, सेक्टर 4, ग्वालियर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 02, ग्राम मगरोनी, तहसील बैराड, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

55. प्रकरण क्र. 8885/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री हरिसिंह आत्मज श्री रामचन्द्र रघुवंशी, निवासी मनवानी कॉलोनी, पीथमपुर जिला धार (म.प्र) द्वारा पत्थर/गिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000, वेस्ट 256 व मुरूम 6996 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1/1 पैकी, ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति न दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Reject किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

56. प्रकरण क्र. 6794/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष नायक आत्मज श्री लक्ष्मण सिंह नायक, निवासी गड़ूली, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24832 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 68, ग्राम तेजपुरा, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

57. प्रकरण क्र. 8877/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक पाटीदार आत्मज श्री रमेशचंद पाटीदार, निवासी ग्राम खोखकराकलां, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 25/16, ग्राम चकरानाबाद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति न दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Reject किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

58. प्रकरण क्र. 8833/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स माँ नर्मदा क्रेशर, प्रो. श्री रामलाल मंडलोई, निवासी ग्राम सोण्डुल, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8858 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 46/1 पेकी, ग्राम सोण्डुल, तहसील मनावर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 में उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति न दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 552वी बैठक दिनांक 18.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Reject किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

59. प्रकरण क्र. 7384/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बामदेव ग्लोबल, अधिकृत व्यक्ति श्री उपेन्द्र गुप्ता, ई–91, श्रीनाथ बिहार, चिल्ला रोड़, बांदा (उ.प्र.)–210001 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 13.60 हेक्टेयर, खसरा 439, ग्राम फतेहपुर, तहसील बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

60. **प्रकरण क्र. 7384/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बामदेव ग्लोबल, अधिकृत व्यक्ति श्री उपेन्द्र गुप्ता, ई–91, श्रीनाथ बिहार, चिल्ला रोड़, बांदा (उ.प्र.)–210001 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.110 हेक्टेयर, खसरा 209, ग्राम दरयापुर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

61. **प्रकरण क्र. 8983/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री रणबीर सिंह बैस आत्मज श्री नरेन्द्र सिंह बैस, निवासी – बैरछादातार कालापीपल, तहसील कालापीपल जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 598, ग्राम डोराबाद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 में उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति न दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से** SEAC की 554वी बैठक दिनांक 23.02.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Reject किये जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

C. CBWTF के स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कार्यवाही बाबत।

प्राधिकरण के संज्ञान में आया है की **CBWTF** के प्रकरणों में लगातार परियोजना प्रस्तावक व अन्य द्वारा एक दुसरे के खिलाफ शिकायते की जा रही है जिससे न्यायलीन प्रकरण भी बढ रहे है। इसी क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्र. 1619 दिनांक 23 फरवरी 2022 प्राप्त हुआ, जो कि प्राधिकरण को संबोधित है पत्र के अनुसार CBWTF के स्थापना हेतु निम्न बिन्दुओं पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के समय ध्यान दिया जावे।

1. CBWTF के स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाये।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रत्येक 05 वर्ष में राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट उत्पादन निष्पादन व CBWTF के क्षेत्र वितरण की इन्वेन्ट्री आगामी 10 वर्षो हेतु तैयार करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट संबंधी गेप एनालिसिस व 75 कि.मी. क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित फार्मेट–1 के अनुसार CBWTF की स्थापना की संभावना का अध्ययन किया जाये।
4. अगर किसी क्षेत्र में पूर्व में स्थापित CBWTF की क्षमता से अधिक मात्रा में वेस्ट उत्पन्न हो रहा है तथा उसकी बिस्तर संख्या 10000 अधिक हो चुकी है इस स्थिति में उस क्षेत्र में नये CBWTF की स्थापना की जासकती है।
5. इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में भी पत्र दिनांक 08.03.2018 के माध्यम से इस मार्गदर्शिका का पालन करने के दिशा निर्देश दिये गये थे।

CPCB के उक्त पत्र दिनांक 23.02.2022 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है, कि चूँकि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 02, 03 एवं 04 के लिए अधिकृत किया गया है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में अध्ययन कर जिलों में प्रस्तावित CBWTF ईकाई की स्थापना दिशा निर्देशों के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप नीति अनुशंसित करें, ताकि SEIAA एवं SEAC में विचाराधीन प्रकरणों में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

<u>खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–</u>

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonatoत) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।

13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष